



**GAIL (India) Limited
Corporate HR Department
New Delhi**

Circular

No. CO/HR/Pol/P-231

22nd January 2014

Subject: Constitution of Internal Complaints Committee post notification of 'Policy for Prevention, Prohibition and Redressal of Sexual Harassment of Women at Work Place'.

This is in furtherance to Corporate HR Circular of even number dated 22nd January 2014 notifying 'Policy for Prevention, Prohibition and Redressal of Sexual Harassment of Women at Work Place'.

2. In line with this policy, the Internal Complaints Committee at Corporate level (*for locations in Delhi and NCR*) has been constituted as under:

- i) Presiding Officer
Ms. Vandana Chanana,
General Manager (CC & CSR),
Mobile No. 9818316266
E mail: vchanana@gail.co.in
- ii) Member
Shri A N Pandey,
General Manager (IA),
Mobile No. 9873333287,
E mail: anpandey@gail.co.in
- iii) Member
Ms. Debjani Purkayastha,
Dy. General Manager (Projects),
Mobile No. 9873236208
E mail: debjani@ gail.co.in
- iv) Member
Dr. Seema Sharma,
Associate Professor,
Delhi School of Social Work
Delhi University
Mobile No. 9810750640
E-mail: seemasharma.dsw@gmail.com

3. Till finalization and notification of Internal Complaints Committees for other Work Centres of GAIL, this 'Internal Complaints Committee' at Corporate level shall act as the Internal Complaints Committee for complaints if any being filed by aggrieved women from any work centre across GAIL.
4. This issues with the approval of the Competent Authority and comes into force with immediate effect.
5. Hindi version follows.


(Rajeev Singhal)

Executive Director (Law & HR)

Distribution

1. HODs at Corporate Office
2. OICs of Work Centres/ Zonal Offices
3. Nodal Officers [(ED (HR & HRD) for locations in Delhi and NCR) /HR Incharges of Work Centres/Zonal Offices]
4. DGM/CEA/SEA/EA to CMD/Dir./ (Proj.)/Dir. (Mktg.)/Dir. (BD)/Dir. (Fin.)/Dir. (HR)/CVO
5. All employees (*through e-mail*)
6. Notice Boards – at all work centres for display at conspicuous places for wide dissemination and information of all stakeholders.



गेल (इंडिया) लिमिटेड
निगमित मानव संसाधन विभाग
नई दिल्ली

परिपत्र

सं.: सीओ/एचआर/पॉलिसी/पी-231

दिनांक: 22 जनवरी, 2013

विषय: 'कार्य स्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न की रोकथाम, निषेध और निवारण नीति'
को अधिसूचित किए जाने के बाद आंतरिक शिकायत समिति का गठन

यह निगमित मा.सं. के समसंख्यक परिपत्र दिनांक 22 जनवरी, 2014 के अनुसरण में है जिसके द्वारा 'कार्य स्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न की रोकथाम, निषेध और निवारण नीति' को अधिसूचित किया गया है।

2. नीति के अनुपालन में निगमित स्तर पर आंतरिक शिकायत समिति (दिल्ली और एनसीआर अवस्थितियों के लिए) का निम्न अनुसार गठन किया गया है:

i) अध्यक्ष

सुश्री वंदना चानना
महाप्रबंधक (सीसी एवं सीएसआर),
मोबाइल न. 9818316266
ई-मेल: vchanana@gail.co.in

iii) सदस्य

सुश्री देबजानी पुरकायस्थ
उप महाप्रबंधक (परियोजना),
मोबाइल न. 9873236208
ई-मेल: debjani@gail.co.in

ii) सदस्य


श्री ए. एन. पाण्डेय
महाप्रबंधक (आईए),
मोबाइल न. 9873333287
ई-मेल: anpandey@gail.co.in

iv) सदस्य

डॉ. सीमा शर्मा, एसोसिएट प्रोफेसर,
दिल्ली स्कूल ऑफ सोशल वर्क
दिल्ली विश्वविद्यालय
मोबाइल न. 9810750640
ई-मेल: seemasharma.dsw@gmail.com

3. गेल के अन्य कार्य केन्द्रों के लिए आंतरिक शिकायत समितियों को अंतिम रूप दिए जाने और अधिसूचित किए जाने तक निगमित स्तरीय 'आंतरिक शिकायत समिति' ही पूरे गेल के किसी कार्य केन्द्र पर किसी व्यथित महिला द्वारा दर्ज कराई गई शिकायत के लिए आंतरिक शिकायत समिति के रूप में कार्य करेगी।

4. यह सक्षम अधिकारी के अनुमोदन से जारी किया जाता है और तत्काल प्रभाव से लागू है।


(राजीव सिंघल)

कार्यकारी निदेशक (विधि एवं मा.सं.)

संलग्न: यथोपरि ।

वितरण:

1. निगमित कार्यालय के सभी विभाग प्रमुख,
2. कार्य केन्द्रों के प्रभारी अधिकारी / ज़ोनल प्रभारी अधिकारी
3. नोडल अधिकारी [(कार्य.निदे.(मा.सं. एवं मा.सं.वि.)] दिल्ली और एनसीआर अवस्थितियों के लिए / कार्य केन्द्रों/ ज़ोनल कार्यालयों के मानव संसाधन प्रमुख
4. अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक / निदेशक (परियोजना) / निदेशक (विपणन) / निदेशक (व्यापार विकास)/ निदेशक (वित्त) / निदेशक (मानव संसाधन) / मुख्य सतर्कता अधिकारी के उ.म.प्र./सीईए/एसईए/ईए
5. सभी कार्मिकगण (ई-मेल के माध्यम से)
6. नोटिस बोर्ड - व्यापक प्रसार एवं सभी स्टैकधारकों की जानकारी के लिए सभी कार्य केन्द्रों में प्रमुख स्थलों पर प्रदर्शन हेतु